बिहार सरकार
बिहार तकनीकी सेवा आयोग,
19, हार्डिंग रोड, पटना।

विज्ञापन सं०– 02/2022

भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी एवं समकक्ष पद पर नियमित नियुक्ति हेतु विज्ञापन।

1. पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार पटना, अन्तर्गत बिहार पशु चिकित्सा सेवा के मूल कोटि के भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी एवं समकक्ष रिक्त पदों पर नियमित नियुक्ति हेतु सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार पटना के पत्रांक–70, दिनांक–04.01.2021 के द्वारा प्राप्त अधियाचना के आलोक में सुयोग्य उम्मीदवारों से विहित प्रपत्र में आयोग के वेबसाईट **www.btsc.bih.nic.in / www.pariksha.nic.in** पर **दिनांक–24.01.2022 से दिनांक–23.02.2022** तक ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित किये जाते है।

रोस्टर के अनुसार भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी एवं समकक्ष हेतु कोटिवार पद की विवरणी, वेतनमान एवं शैक्षणिक योग्यता निम्नलिखित रूप से हैः–

पदनाम	वेतनमान	पदों की कोटिवार विवरणी										अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता
		अना0	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	अनु0 जाति	अनु0 जन0 जाति	अ0 पि0 व0	पि0 व0	पि0व0 की महिला	कुल	स्वतंत्रता सेनानियों के पोता/पोती नाती/नतिनी के लिए 2%	दिव्यांग हेतु 4%	(i) न्यूनत्तम शैक्षिणिक अर्हत्ता भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बी०वी०एस०सी० (B.V.Sc.) अथवा बी०वी०एस०सी० एण्ड ए०एच० (B.V.Sc. & A.H.) की डिग्री अनिवार्य होगी। (ii) अभ्यर्थी को बिहार पशु चिकित्सा परिषद् से स्थायी रूप से निबंधित होना चाहिए।
भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी एवं समकक्ष	पे मैट्रिक्स वेतन स्तर–9 (रूपये– 53,100–1,67,800)	165	37	176	0	183	19	44	624	08	VI-03 OH-04 DD-04 MD-04 -------- कुल–15	
35% महिलाओं के लिए क्षैतिज आरक्षण		52	11	22	0	26	07	0	118			

सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प सं०–12535, दिनांक–17.09.2018 के आलोक में बिहार राज्य के अन्दर अवस्थित पशु चिकित्सा महाविद्यालयों से उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए सभी आरक्षित/गैर आरक्षित कोटि में 50% क्षैतिज आरक्षण लागू होगा।

2. आयु सीमाः–दिनांक–01.08.2021 कोः–

(i) न्यूनतम आयु : 21 वर्ष

(ii) अधिकतम उम्र सीमाः–

अनारक्षित वर्ग (पुरूष)—–37वर्ष

अनारक्षित वर्ग (महिला)—–40 वर्ष

अत्यन्त पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग (पुरूष/महिला)—–40 वर्ष

अनु० जाति/अनु० जनजाति (पुरूष/महिला)—–42 वर्ष

(iii) उक्त आयु सीमा में सा०प्र०वि० के संकल्प सं०–62, दिनांक–05.01.2007 के आलोक के दिव्यांगों को अधिकतम उम्र सीमा में 10 वर्षों की छूट अनुमान्य हैं।

(iv) सा०प्र०वि० के संकल्प सं०–2374, दिनांक–16.07.2007 के आलोक में सरकारी सेवकों को उच्चतर वेतनमान की सेवा में जाने हेतु अधिकतम आयु सीमा के 5 (पाँच) वर्षों की छूट अनुमान्य हैं।

(v) बिहार सरकार के अधीन संविदा/अनुबंध पर पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के पत्रांक–1375, दिनांक–09.06.2021 के आलोक में भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी एवं समकक्ष पदों पर नियुक्त आवेदकों को कोटिवार अधिकतम उम्र सीमा में 09 (नौ) वर्षों का छूट देय होगा।

(vi) वैसे अभ्यर्थी जो विज्ञापन में वर्णित योग्यता 2016 में प्राप्त कर चुके थे और विज्ञापन नहीं निकलने के कारण आवेदन नहीं कर सके हैं, को कोटिवार अधिकतम उम्र सीमा में 05 (पाँच) वर्षों का छूट देय होगा।

(vii) वैसे अभ्यर्थी जिन्हें संविदा/अनुबंध के आधार पर 09 (नौ) वर्षों का उम्र सीमा में छूट दिया गया है, उन्हें 05 (पाँच) वर्षों का छूट देय नहीं होगा।

(viii) सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक–12722, दिनांक–12.09.2014 के आलोक में किन्नर/कोथी/हिजड़ा ट्रांसजेंडर (थर्डजेंडर) को पिछड़े वर्गों को मिलने वाले आरक्षण का लाभ देय होगा।

3. चयन की प्रक्रियाः–

(i)	बी०वी०एस०सी० (B.V.Sc.) अथवा बी०वी०एस०सी० एण्ड ए०एच० (B.V.Sc. & A.H.) के डिग्री में प्राप्तांक के लिए –––––	75 अंक
(ii)	स्नातकोत्तर अथवा उच्चत्तर डिग्री के लिए–––––	5 अंक
(iii)	बिहार सरकार के अधीन संविदा/अनुबंध पर नियुक्त पशु चिकित्सकों/पशुपालन पदाधिकारी, ए०टी०एम०/बी०टी०एम० के रूप में कृषि विभाग, बिहार में संविदा पर नियोजित पशु चिकित्सा स्नातकों, बिहार स्टेट मिल्क कॉपरेटिव फेडरेशन(कम्फेड) में कार्यरत पशु चिकित्सकों, बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति (जीविका) में कार्यरत पशु चिकित्सकों, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना के अन्तर्गत संचालित विभिन्न परियोजनाओं में कार्यरत पशु चिकित्सकों तथा बिहार सरकार के किसी भी विभाग में कार्यरत पशु चिकित्सकों के कार्यानुभव के लिए अंक––––	20 अंक
		कुल–100 अंक

स्पष्टीकरणः–

(a) बी०वी०एस०सी० (B.V.Sc.) अथवा बी०वी०एस०सी० एण्ड ए०एच० (B.V.Sc. & A.H.) के लिए किसी अभ्यर्थी को प्रदान किया जाने वाला अंकों का अवधारण उक्त कोर्सो की परीक्षा में प्राप्त कुल अंकों के प्रतिशत को 0.75 के गुणक से गुणा करके होगा। अर्थात, यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा 50 प्रतिशत अंक प्राप्त किया गया हो, तो उसे 50x0.75=37.5 अंक दिये जायेंगे।

(b) संविदा/अनुबंध के आधार पर कार्यरत कर्मियों के कार्य अवधि के लिए अधिकतम 20 अंक (कार्यानुभव के प्रत्येक वर्ष के लिए 04 अंक के हिसाब से अधिकतम 20 अंक) एक वर्ष के अंश के लिए अनुपातिक अंक दिये जायेगें।

(iv) अभ्यर्थी, विज्ञापन प्रकाशन की तिथि 24.01.2022 तक संविदा/अनुबंध पर कार्यरत अवधि का निदेशक पशुपालन विभाग, पटना द्वारा निर्गत कार्यानुभव संबंधी प्रमाण–पत्र आवेदन के विहित कॉलम में दर्ज करेंगें, (पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के पत्रांक–3087, दिनांक–08.11.2021 के अनुसार)। अन्य किसी प्राधिकार द्वारा निर्गत कार्य अनुभव प्रमाण–पत्र मान्य नहीं किया जायेगा। आवेदन में कार्यानुभव का दावा नहीं होने पर कार्यानुभव का अंक/आयु सीमा में छुट देय नहीं होगा। कार्यानुभव अवधि की गणना उक्त तिथि तक ही की जायेगी।

4. आरक्षणः–

(i) ऑनलाईन आवेदन के इंगित कॉलम में आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा।

(ii) आरक्षण का लाभ उन्हीं उम्मीदवारों को मिलेगा, जिनका स्थायी निवास बिहार राज्य में है अर्थात् जो बिहार के मूलवासी हैं। बिहार राज्य के बाहर के निवासी अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ देय नहीं

होगा। ऑनलाईन आवेदन में भरा गया स्थायी पता ही आरक्षण प्रयोजन के लिए स्थायी निवास अनुमान्य होगा।

(iii) (A) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को निम्नांकित प्रमाण–पत्र जमा करना अनिवार्य होगा:–

(a) जाति प्रमाण–पत्र

(b) स्थायी निवास (डोमिसाइल) प्रमाण–पत्र,

(B) पिछड़ी जाति एवं अत्यन्त पिछड़ी जाति के उम्मीदवारों को निम्नांकित प्रमाण–पत्र जमा करना अनिवार्य होगा:–

(a) क्रीमीलेयर रहित जाति प्रमाण–पत्र, (बिहार सरकार के प्रयोजनार्थ)

(b) स्थायी निवास (डोमिसाइल) प्रमाण–पत्र,

(C) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए निम्नांकित प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा:–

(a) परिसम्पति प्रमाण पत्र– (सामान्य प्रशासन विभाग की अधि० सं०–2622, दिनांक–26.02.2019 के आलोक में)

(b) स्थायी निवास (डोमिसाइल) प्रमाण–पत्र,

उक्त सभी प्रमाण पत्र अपने स्थाई अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत किया गया मान्य होगा।

नोटः– **(i) महिला अभ्यर्थी हेतु जाति प्रमाण–पत्र (अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति हेतु), परिसम्पति प्रमाण–पत्र (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हेतु) एवं क्रीमीलेयर–रहित प्रमाण–पत्र (पिछड़ा एवं अत्यंत पिछड़ा हेतु) पिता के नाम एवं पता सहित निर्गत होना अनिवार्य है। पति के नाम एवं पता सहित निर्गत प्रमाण–पत्र मान्य नहीं होगा।**

नोटः– **(ii) पिछड़ा एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के सदस्यों हेतु क्रीमीलेयर रहित प्रमाण–पत्र संलग्न करना अनिवार्य है। क्रीमीलेयर रहित प्रमाण–पत्र से इतर अन्य कोई जाति प्रमाण–पत्र पिछड़ा एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों हेतु मान्य नहीं किया जायेगा।**

नोटः– **(iii) आरक्षित कोटि के उम्मीदवार अपनी जाति के अनुरूप आरक्षण के संबंध में पूर्ण रूप से संतुष्ट होने के पश्चात् ही आरक्षण का अंकण आवेदन के संबंधित कॉलम में करेंगे एवं आवेदन भरते समय उनके पास आरक्षित कोटि के अनुरूप सक्षम प्राधिकार से निर्गत प्रमाण–पत्र उपलब्ध होना अनिवार्य होगा। आरक्षण कोटि में सुधार/बदलाव पंजीकरण के उपरान्त नहीं किया जा सकेगा। दावा किए गए कोटि से इतर कोटि का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने अथवा अन्य किसी प्रकार की त्रुटि होने पर आरक्षण का दावा मान्य नहीं होगा तथा उन्हें अनारक्षित कोटि में माना जायेगा।**

<u>आरक्षित कोटि</u>

क्र०सं०	आरक्षित कोटि
1.	अनुसूचित जाति (SC)
2.	अनुसूचित जनजाति (ST)
3.	अत्यंत पिछड़ा वर्ग (EBC)
4.	पिछड़ा वर्ग (BC)
5.	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS)

(iv) दिव्यांगता की स्थिति में सक्षम प्राधिकार द्वारा विहित प्रपत्र में निर्गत दिव्यांगता (निःशक्तता) प्रमाण–पत्र की छायाप्रति संलग्न करना आवश्यक है, अन्यथा दिव्यांगता (निःशक्तता) के आधार पर आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा।

(v) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के पत्रांक–13185, दिनांक–03.09.2015 के आलोक में राज्य के वैसे स्वतंत्रता सेनानियों जिन्हें केन्द्र द्वारा पेंशन स्वीकृत है, के पोता/पोती/नाती/नतिनी को नियमानुसार 02 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देय होगा। ऐसे आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को आवेदन करते समय अपने गृह जिला के जिला पदाधिकारी या उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी

के हस्ताक्षर से निर्गत भूतपूर्व स्वतंत्रता सेनानी के पोता/पोती/नाती/नतिनी होने का प्रमाण–पत्र निश्चित रूप से उपलब्ध होना चाहिए।

(vi) सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापांक–**16144**, दिनांक– **28.11.2012** के आलोक में नियुक्ति प्रक्रिया के बीच आरक्षण कोटि में सुधार/बदलाव नहीं किया जा सकता है।

(vii) ऑनलाईन आवेदन में आरक्षण के इंगित कॉलम में आरक्षित कोटि निःशक्तता/स्वतंत्रता सेनानी के पोता–पोती, नाती–नतिनी/संविदा पर कार्यरत रहने का दावा नहीं करने पर उनसे संबंधित आरक्षण एवं अन्य लाभ अनुमान्य नहीं होंगे।

5. **<u>आवेदन शुल्क</u>**:– (i) Online आवेदन करने हेतु निर्धारित आवेदन शुल्क निम्नवत् हैः–

क्र0 सं0	उम्मीदवार की कोटि	आवेदन शुल्क
1	सामान्य वर्ग/पिछड़ा वर्ग/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	रू0 200/–
2	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति **(बिहार राज्य के स्थायी निवासी)**	रू0 50/–
3	आरक्षित/अनारक्षित वर्ग की महिला उम्मीदवार (बिहार राज्य के स्थायी निवासी)	रू0 50/–
4	राज्य के बाहर के उम्मीदवार चाहे वे किसी भी वर्ग के महिला /पुरूष हों।	रू0 200/–

(i) सभी कोटि के दिव्यांग अभ्यर्थियों को अनारक्षित श्रेणी हेतु निर्धारित परीक्षा शुल्क के एक चौथाई जमा करना होगा, अर्थात अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी को यदि 200 रूपया निर्धारित है, तो दिव्यांग अभ्यर्थी को मात्र 50 रूपया परीक्षा शुल्क देय होगा।

अभ्यर्थियों के द्वारा आवेदन शुल्क डेविट कार्ड/क्रेडिट कार्ड/इन्टरनेट बैंकिंग या **एस. बी. आई** के ई–चलान के माध्यम से जमा किया जायेगा एवं रसीद की प्रति आवेदक के पास सुरक्षित रखा जायेगा।

ऑनलाईन भुगतान में अभ्यर्थी को उपर्युक्त परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त विभिन्न बैंकों द्वारा निर्धारित चार्ज भी देना होगा, जिसे ऑनलाईन भुगतान के क्रम में बैंक द्वारा स्वतः बैंक चार्ज के रूप में ले लिया जाएगा।

अभ्यर्थी ऑनलाईन भुगतान से संबंधित बैंक रसीद को प्रिन्ट कर ऑनलाईन आवेदन के विहित कॉलम में अंकित करेगें।

वैसे सभी कोटि के अभ्यर्थी, जो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं निःशक्तता के अनुरूप आवेदन शुल्क जमा करते हैं, और भविष्य में उनके द्वारा संबंधित प्रमाण–पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो रियायती आवेदन शुल्क (Concessional Application Fee) के आधार पर उनकी अभ्यर्थिता रदद् कर दी जायेगी। निःशक्त अभ्यर्थियों एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कोटि के अभ्यर्थियों को इस संदर्भ में सूचित किया जाता है कि वे यदि स्वेच्छा से आवेदन शुल्क सामान्य अभ्यर्थियों के अनुरूप जमा करते हैं तो इस बिन्दु पर उनकी अभ्यर्थिता सुरक्षित रहेगी।

6. **<u>महत्वपूर्ण निर्देशः–</u>**

(क) ऑनलाइन आवेदन–पत्र के विहित कॉलम में अपने सभी शैक्षणिक योग्यता प्रमाण–पत्र एवं अंक प्रमाण पत्र की प्रति तथा आरक्षण से संबंधित सूचना की प्रविष्टि करेगें एवं इस प्रविष्टि के अनुसार कांउसेलिंग के समय मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(ख) कंडिका 3(iii) के अन्तर्गत कार्य अनुभव का दावा करने वाले उम्मीदवारों के द्वारा बिहार सरकार के अधीन संविदा/अनुबंध पर नियुक्त पशु चिकित्सकों/पशुपालन पदाधिकारी, ए०टी०एम०/बी०टी०एम० के रूप में कृषि विभाग, बिहार में संविदा पर नियोजित पशु चिकित्सा स्नातकों, बिहार स्टेट मिल्क कॉपरेटिव फेडरेशन(कम्फेड) में कार्यरत पशु चिकित्सकों, बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति (जीविका) में कार्यरत पशु चिकित्सकों, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार,

पटना के अन्तर्गत संचालित विभिन्न परियोजनाओं में कार्यरत पशु चिकित्सकों के कार्यानुभव संबंधी प्रमाण–पत्र निर्गत करने के लिए **निदेशक, पशुपालन, बिहार, पटना** सक्षम प्राधिकार होगें।

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के पत्रांक–3087, दिनांक–08.11.2021 के अनुसार बिहार सरकार के किसी भी विभाग में कार्यरत पशु चिकित्सकों के संबंध में संबंधित विभागों/संस्थानों/कार्यालयों से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में संविदा पर नियोजित पशु चिकित्सक का अनुभव प्रमाण–पत्र निर्गत करने हेतु निदेशक, पशुपालन, बिहार, पटना को प्राधिकृत किया गया है।

7. विज्ञापन से संबंधित वर्णित सभी प्रमाण–पत्र एवं अंतिम रूप से भरे गये ऑनलाईन आवेदन को डाउनलोड कर हार्ड कॉपी अवश्य सुरक्षित रखेंगे। आयोग द्वारा काउसेलिंग के समय या किसी भी समय मांगे जाने पर उम्मीदवार को उक्त हार्ड कॉपी एवं सभी संबंधित प्रमाण–पत्र का स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति निश्चित रूप से प्रस्तुत करना होगा।

8. **योग्यता संबंधी सभी प्रमाण–पत्र यथा–शैक्षणिक प्रमाण–पत्र, आरक्षण हेतु निर्गत प्रमाण–पत्र, कार्य अनुभव प्रमाण–पत्र वही मान्य होंगे जिसका उल्लेख उम्मीदवार अपने मूल ऑनलाइन आवेदन में किया है। उक्त सभी प्रमाण–पत्रों के निर्गत होने की तिथि 23.02.2022 के पूर्व का होना आवश्यक है।**

9. **आवेदन प्रपत्र में वर्णित सभी प्रमाण–पत्र, अंक–पत्र काउंसलिंग के समय मूल रूप से प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।काउंसलिंग में प्रमाण–पत्र नहीं प्रस्तुत करने/त्रुटिपूर्ण होने की दशा में अलग से कोई भी प्रमाण–पत्र, आयोग द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा। उक्त निर्देश का अनुपालन नहीं करने वाले अभ्यर्थियों की अर्हता के संबंध में निर्णय लेने हेतु आयोग स्वतंत्र रहेगा।**

10. आवेदक यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी वांछित प्रमाण–पत्र मूल रूप में उनके पास आवेदन भरते समय उपलब्ध हैं।

11. **इस विज्ञापन से संबंधित सभी सूचनाएँ आयोग के वेबसाईट <u>www.btsc.bih.nic.in</u> एवं <u>www.pariksha.nic.in</u> पर प्रकाशित की जाएगी। अतः अभ्यर्थी आयोग के वेबसाईट का सतत् निरीक्षण करते रहेंगे। अलग से समाचार पत्रों में प्रकाशन किये जाने, S.M.S अथवा ई०मेल० के माध्यम से अभ्यर्थियों को सूचित किये जाने की बाध्यता नहीं होगी।**

12. इस विज्ञापन के लिए निर्धारित ऑनलाईन आवदेन से अलग मुद्रित, टंकित, हस्त लिखित आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेगे। साथ ही अपूर्ण, अस्पष्ट, अहस्ताक्षरित तथा विलम्ब से ऑनलाईन प्राप्त आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिये जायेगें तथा शुल्क वापस नहीं किये जायेगें।

13. **आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन में सभी प्रविष्टियाँ सावधानी से भरी जायेगी। भविष्य में आवेदन में किसी प्रकार का परिवर्तन/सुधार मान्य नहीं होगा। किसी भी प्रकार की त्रुटि हेतु आयोग उत्तरदायी नहीं होगा एवं कोई भी प्रतिकूल परिणाम हेतु आवेदक स्वयं जिम्मेवार होंगे।**

14. **आयोग द्वारा निर्धारित तिथि को अभ्यर्थी को काउंसलिंग कराना अनिवार्य होगा। काउसंलिंग में अनुपस्थित अभ्यर्थी को पुनः काउंसलिंग कराने हेतु कोई दावा मान्य नहीं होगा।**

15. <u>ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने से संबंधित अन्य निर्देश निम्नांकित हैं:–</u>

(i) ऑनलाईन भुगतान करने वाले अभ्यर्थी चालान की प्रति डाउनलोड कर सुरक्षित रख लेगें।

(ii) अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन भरने के पूर्व उक्त दिशा निर्देश का भली भाँति अध्ययन कर लेंगे तथा ऑनलाईन आवेदन भरने के क्रम में सभी सूचनाएँ सही–सही एवं सुस्पष्ट अंकित करेंगे।

ऑनलाईन आवेदन भरने हेतु आवश्यक (विस्तृत) निर्देश का अक्षरशः अनुपालन नहीं करने एवं ऑनलाईन आवेदन भरने के क्रम में अभ्यर्थी द्वारा की गयी प्रविष्टि में किसी प्रकार की त्रुटि के लिए आयोग जिम्मेवार नहीं होगा। इस संबंध में किसी प्रकार के सुधार/परिवर्तन हेतु अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

ऑनलाईन आवेदन में भरी गयी सूचनाओं को मूल प्रमाण पत्र/अंक पत्रों से मिलान करने के क्रम में किसी भी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर संबंधित आवेदक की अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी।

(iii) अभ्यर्थी, अपना नाम, जन्म तिथि, कोटि, आवेदन शुल्क इत्यादि से संतुष्ट होने के उपरान्त ही ऑनलाईन आवेदन शुल्क जमा करेगे।

(iv) ऑनलाईन आवेदन में अंकित E-mail Id, Mobile Number को सुरक्षित रखना आवेदक की जिम्मेवारी होगी। इसे वे चयन सूची के अंतिम प्रकाशन तक सुरक्षित रखेंगे।

(v) मात्र रजिस्ट्रेशन करने एवं ऑनलाईन शुल्क जमा करने से यह नहीं माना जाएगा कि आवेदक द्वारा पूर्ण रूप से ऑनलाईन आवेदन भर लिया गया हैं।

(vi) इन्टरनेट या बैंकिग व्यवधान के लिए आयोग उत्तरदायी नहीं होगा। अतः अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन भरने हेतु अंतिम तिथि का इंतजार नहीं करेंगे एवं उसके पूर्व ही सभी प्रक्रिया पूरी कर लेंगे।

(vii) **फोटोग्राफः**—(क) आवेदक/अभ्यर्थी का फोटो हाल का खींचा होना चाहिए।(तीन माह के अंदर का)

(ख) आवेदक/अभ्यर्थी का चेहरा एवं सिर ऊपर से नीचे तक दिखना चाहिए और फोटो में आँख खुला होना चाहिए।

(ग) बैकग्राउण्ड में सफेद पटल होना चाहिए। फोटो पर किसी प्रकार की छाया नहीं होना चाहिए। यदि आवेदक चश्मा लगाते है, तो चश्मा हटाकर फोटो खिचवायेगें।

(घ) कंडिका 15 (vii) (क), (ख), (ग) में वर्णित निदेशों के अनुरूप फोटो नहीं रहने पर अभ्यर्थिता रद्द की जा सकती है।

(viii) अभ्यर्थियों को यह भी निर्देश दिया जाता है कि आवेदन करते समय जो फोटोग्राफ उनके द्वारा आवेदन पत्र पर अपलोड किया जा रहा है, उसकी कम से कम पाँच अतिरिक्त प्रतियाँ वे अपने पास सुरक्षित रखेंगे, ताकि आवश्यकता पड़ने पर या आयोग द्वारा मांगे जाने पर उसे उनके द्वारा जमा किया जा सके।

(ix) ऑनलाईन भुगतान में किसी प्रकार का इन्टरनेट व्यवधान/गलत भुगतान/असफल भुगतान Unsuccessful Payment/Transaction Status Failure के लिए आयोग उत्तरदायी नहीं होगा तथा अभ्यर्थी को सुधार हेतु अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा। ऐसी त्रुटियों की स्थिति में अभ्यर्थी तुरंत पूर्व में डाउनलोड किये गए चालान के माध्यम से भारतीय स्टेट बैंक के किसी भी शाखा में निर्धारित तिथि के अंदर नगद भुगतान कर आवेदन भरने की कार्रवाई करेंगे।

(x) **विज्ञापन प्रकाशन की तिथि एवं आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि के बीच की अवधि में अधियाची विभाग के द्वारा/राज्य सरकार के द्वारा प्राप्त निदेशो तथा आयोग के निर्णय के आलोक में विज्ञापन में आवश्यकता अनुसार संशोधन किया जा सकता है।**

नोटः—1.अभ्यर्थियों को निदेश दिया जाता है कि वे कोई भी फर्जी/जाली प्रमाण—पत्र के आधार पर उक्त आवेदन नहीं भरेगें अन्यथा किसी भी स्तर से प्रमाणपत्र फर्जी पाये जाने पर उनकी अभ्यर्थिता रदद् कर दी जायेगी एवं उनके विरूद्ध कानूनी कार्रवाई की जायेगी।

21.1.2022

सचिव

बिहार तकनीकी सेवा आयोग, पटना।